न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी ...... बनाम ....

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 11/RA/2018 निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मसारी की आ.ख.न. 1231 कुल रकबा 0.73 किस्म जमीन गैरमुमकिन रास्ता में से 0.01 रकबे पर श्री नारायण S/o नेकराम जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पक्का मकान बना कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 5/6/18 .... को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईब भू.अ.निरी. अरौदा .... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी नारायण S/o नेकराम जाट जाति जाट निवासी मसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1231 रकबा 0.73 में से 0-01 रकबे किस्म गैरमुमकिन रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉरसायम का अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 10 paise का 50 गुणा 5/- Five रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. .... अरौदा ...... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.

प्रतिलिपि :- प. इ..

40 5
2018-19 ...... 5/-